

प्रेषक,

एचडी० सिंह,  
दिशेष सचिव,  
३०५० शासन।

लेखा में

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
३०५० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्नति कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आईएच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-३७ से सामाज्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-उन्नाव की ०१ पुनरीक्षित परियोजना हेतु सूच्य बृद्धि के रूप में वित्तीय सहीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-६३६/७६/एक/आईएच०एस०डी०पी०/म००बृद्धि/2015-16, दिनांक 21 मई, 2015 के संदर्भ में सुन्दर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ से आईएच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-उन्नाव की नगरी निकाय-हैदराबाद की १२८ आवासों के सापेक्ष सामाज्य वर्ग के लाभार्थियों के ५६ आवासों ०१ पुनरीक्षित परियोजना, जिसकी रु १९६.८८ लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-७९८/2015/1449/69-1-15-62(बजट)/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु प्रश्नगत परियोजना में हुई सूच्य बृद्धि के फलस्वरूप निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-११ में जटित देय अन्तर की घनराशि रु ५८.४७ लाख (स्पष्ट अंडाबन लाख सेंतालिस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-८०४/६९-१-१४-१४(३०)/२०१४, दिनांक 31.०३.२०१४ द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में संरक्षित घनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 ने आहरित कर दिये किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिवर्णी के आधीन सही स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(घनराशि लाख रु ० में)

६-०	अन्नपद/ परियोजना/ कृषि जागार्ही की संघटा/ भ्रेण्डरोपरा न्त आवासों की संख्या।	गणेशदेवी/ राजन नूर जागत।	सरेण्डरोप- रा/परियोजना के संघटना/ जागत के आवासों संख्या।	सरेण्डरोपरा के परियोजना के सापेक्ष संख्या।	सामाज्य वर्ग के लाभार्थियों के सापेक्ष संख्या।	भारत गवर्नर को दाता की भाभार्थियों जाने वाली केन्द्रीय द्रवितीय द्रवित व शास्त्राज्ञ के आवासों की कुल परियोजना जागत।	पी०एक० प०१००५० एक०१०० १२१.४७	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष जागत के सापेक्ष केन्द्रीय द्रवित व प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्तम नहीं की जा रही है।	पुनरीक्षित परियोजना लागत (लाभार्थी अशास्त्राज्ञ सहित।)	पुनरीक्षित परियोजना लागत के भाभार्थियों जाने वाली केन्द्रीय द्रवित व प्रस्तुत प्रस्ताव परियोजना लागत (लाभार्थी अशास्त्राज्ञ सहित।)	पुनरीक्षित परियोजना लागत के भाभार्थियों जाने वाली केन्द्रीय द्रवित व प्रस्तुत प्रस्ताव परियोजना लागत (लाभार्थी कुल घनराशि।)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१.	अन्नपद/हैदराबाद- १६८/१२८ आवास जागत	३२०.४४	५६	१४०.२०	१२१.४७	०.०१	४५०.०१	१९६.८८	१७९.९५	५८.४७	
										५८.४७	

१५५५१२०/१५५३००१.२०

वर्मा.....2

✓

१०-

४/१/१५

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं ग्रामीय उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजनारचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यवहार वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित नद में व्यवहार की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह आग-6 के आधार के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रवैकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा रुक्षम स्तर से तकनीकी रवैकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह रवैकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्पणीय में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं पर इसके अधिकारी/उनके माध्यम से उपलब्ध इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रित हो लेंगे।
5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किशत की धनराशि को सम्बन्धित सूड़ा/इड़ा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को समिलित करने के उपरान्त समस्त किशतों की कुल धनराशि परियोजना तात्पत्ति के सम्पूर्ण दैष्य/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने वाले दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राज्यकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण संचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उपरान्त लखनऊ एवं सम्बन्धित इड़ा द्वारा प्रमुख संचिव/सचिव अथवा विशेष संचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीय उन्मुक्त कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्तानरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उपरान्त इनाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाड़चर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्ति आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/ठाक्कघर/टिपागिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व व्यावधियन केन्द्र व राज्य के कर्मी को स्वीकृत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूड़ा द्वारा वित्त (आय-व्यवहार) अनुआग-2 के शासनादेश संलग्न वी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में समिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीधा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूड़ा/इड़ा का होगा। इसके अंतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अदमुक्त किशतों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूड़ा/इड़ा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूड़ा/इड़ा का होगा।

10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 3090 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा दिनांक उपयोग के मानकों का अनुपालन सूडा/हृषा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू दितीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य कमा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रबलण-पद शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि दहि, कोई हो तो एक्स्युशन शासन को वापस करनी होनी।
12. निरेशकार्यालय, राज्य नगरीय विभास अधिकरण, ३०५०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त मर आपने लेखों का निलान भूमालेश्वरकार के बार्यामय के लेखों से अदर्श करायेगा।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवेदित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रशलगत परियोजना की दैवारावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदारी संस्था से एम०३०००३०० (अनुबन्ध) निष्पादित करने के पश्चात सुनिश्चित वर्गें। परियोजना से सम्बन्धित निर्णय इकाई से चयावश्यक अनुबन्ध (एम०३०००३००३००) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित हृषा को निर्देशित किया जायेगा।
15. गोजना में अधिकारी व्यय की धनराशि दित (लेख) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-११(4)/७५/११, दिनांक 25.01.2011 में दित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जारीगी।
16. लेटर सेस की धनराशि का गुगलान श्रम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
17. प्रश्नान्तर परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अनितम होगी। अविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. कार्यदारी संरथा को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन००० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप हैं एवं आगाम सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना से सम्बन्धित निर्णय इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०३००३००) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित हृषा को निर्देशित किया जायेगा।
20. प्रश्नान्तर परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
22. सूडा द्वारा शासनादेश सं०-सू०००२०-२९/६९-१-१४-१४(६२)/२०१३, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-६-२-२३७७/दस-२०१५, दिनांक 31 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी समति से जारी किये जा रहे हैं।

अवदीय,  
१०२५  
(एच०पी० सिंह)  
दिशेश सचिव।

संख्या- Q 11 /2015/1449(1)(1)/69-1-15-62(बजट)/09. तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, रथानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, उठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, 3न्नाव।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से.

(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।